दिनांक 20.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 25/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

देश में पहली बार रेलवे ट्रैक की सुरक्षा तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु व्यापक जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ।

भारतीय रेल राष्ट्र की लाइफ लाइन है। उत्तर प्रदेश में सबसे व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 16000 किलोमीटर तथा प्रतिदिन लगभग 3031 ट्रेनों का आवागमन होता है। भविष्य में महाकुंभ–2025 का भव्य आयोजन होगा, जिसमें ट्रेन के माध्यम से भी करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। रेलवे द्वारा महाकुंभ–2025 में श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु देश के विभिन्न राज्यों से 1000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा तथा रेल यात्रियों की मंगलमय एवं सुखद यात्रा जीआरपी के लिए अत्यंत चुनौती पूर्ण कार्य है।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस मुख्यालय में रेलवे ट्रैक तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में जन जागरुकता अभियान चलाए जाने हेतु पोस्टर, बैनर एवं स्टीकर को आरक्षी रोहित कुमार एवं महिला आरक्षी आरती पाल को प्रदत्त कर शुभारम्भ किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा कहा गया कि इन पोस्टर, बैनर एवं स्टीकर को रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ट्रेन एवं सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों के सहज दृश्य स्थान पर लगाया जाय। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उपस्थित रहे।

पोस्टर, बैनर एवं स्टिकर पर 'रेलवे पटरी पर भारी वस्तु होने पर', 'रेलवे पटरी क्षतिग्रस्त होने पर', 'रेलवे पटरी पर संदिग्ध गतिविधियां होने पर', रेलवे पटरी के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर, यात्रा करते समय अंजान व्यक्ति से खाने–पीने का सामान स्वीकार न करें, आप जहरखुरानी का शिकार हो सकते हैं, यात्रा के दौरान गले की चैन व पर्स का ध्यान रखें आदि स्लोगन एवं छाया चित्र का उल्लेख एवं प्रदर्शन किया गया है तथा तुरन्त 112 को मिलाने की अपेक्षा की गयी है। इस अभियान के माध्यम से ट्रेनों मे आपराधिक एवं सैबोटाज की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा तथा सुखद एवं सुरक्षित रेल यात्रा संभव हो सकेगी।

रेलवे पटरी की सुरक्षा में आपका योगदान
संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की तुरंत दें पहचान
राजकीय रेलवे पुलिस
उत्तर प्रदेश
112
रेलवे पटरी पर भारी वस्तु होने पर
रेलवे पटरी के क्षतिग्रस्त होने पर
रेलवे पटरी पर संदिग्ध गतिविधि होने पर
रेलवे पटरी के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर
फ़ोन उठाएं 112 मिलाएं
7570000100 @upgrp_grp @112UttarPradesh upgrp_hq Government Railway Police Uttar Pradesh
प्रकाश डी.

PRASHANT KUMAR
ARTI PAL
प्रकाश डी.

रेलवे पटरी की सुरक्षा में आपका योगदान
संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की तुरंत दें पहचान
राजकीय रेलवे पुलिस
उत्तर प्रदेश
112
रेलवे पटरी पर भारी वस्तु होने पर
रेलवे पटरी के क्षतिग्रस्त होने पर
रेलवे पटरी पर संदिग्ध गतिविधि होने पर
रेलवे पटरी के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर
फ़ोन उठाएं 112 मिलाएं
7570000100
@upgrp_grp
@112UttarPradesh
upgrp_hq
Government Railway Police Uttar Pradesh

दिनांक 20.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 26/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–03

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 19.12.2024 को थाना फेस–03 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढ़ी गोल चक्कर के पास खाली पड़े ग्राउण्ड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस–03 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–03 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान निवासी बाम्बे कालोनी थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–03

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 20.12.2024 को थाना फेस–03 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–65 ग्रीन बैल्ट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोहित उर्फ निप्पल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस–03 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट

गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–03 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित उर्फ निप्पल निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर, गाजियाबाद।

जनपद सुल्तानपुर/थाना अखण्डनगर

15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 20.12.2024 को थाना अखण्डनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवनगर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित कुमार उर्फ अमृतलाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अखण्डनगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अखण्डनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार उर्फ अमृतलाल निवासी मीरपुर प्रतापपुर (बसैतिया) थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना हसनगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के 02 सोने के बिस्किट बरामद**

दिनॉकः 19.12.2024 को थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के 02 सोने के बिस्किट बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 19.12.2024 को थाना हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद सोने के बिस्किट उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमन निवासी अग्रवाल काम्पलेक्स, सोधी टोला चौक थाना चौक, लखनऊ।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के 02 सोने के बिस्किट।

जनपद जौनपुर/थाना सरपतहॉ

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.12.2024 की रात्रि थाना सरपतहॉ व थाना खुटहन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रामनगर तिराहा पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शुभम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर, आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरपतहॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शुभम निवासी दर्वेशपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.12.2024 को थाना सिकरारा व थाना तेजी बाजार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चांदपुर नहर पुलिया पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सौरभ कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद संतकबीरनगर, जौनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकरारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सौरभ कुमार निवासी ग्राम शेख अशरफपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 दो पहिया वाहन एवं 18 दो पहिया वाहन के पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 20.12.2024 को थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चित्तौली रोड़ के पास चेकिंग के दौरान 07 अभियुक्तों 1–पप्पू 2–नसीर 3–जिशान 4–शकील अहमद 5–अमित कुमार 6–अनस खान 7–बन्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 दो पहिया वाहन एवं 18 दो पहिया वाहन के पार्टस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पप्पू निवासी ग्राम इमलिया थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2–नसीर निवासी ग्राम इमलिया थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–जिशान निवासी कोठरा शाहनगर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

4–शकील अहमद निवासी धमैडा मोड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

5–अमित कुमार निवासी चांदपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

6–अनस खान निवासी शाहनगर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

7–बन्टी निवासी ग्राम नयाबांस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 17 दो पहिया वाहन एवं 18 दो पहिया वाहन के पार्टस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 दो पहिया वाहन**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 19.12.2024 को थाना कोतवाली कन्नौज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गैस गोदाम पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि''ाादेही से चोरी की 11 दो पहिया वाहन, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कन्नौज, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमन निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1—चोरी की 11 दो पहिया वाहन।

2—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

01 अभियुक्त गिरफ्तार

लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 60 ग्राम अवैध मारफीन बरामद

दिनांक 20.12.2024 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैदपुर—हरख मार्ग टिकरा उस्मां मोड़ के पास से अभियुक्त मो0परवेज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 60 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0परवेज निवासी टिकरा उस्मां थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 60 ग्राम अवैध मारफीन।

कमिश्नरेट आगरा/थाना विभूतिखण्ड

05 अभियुक्त गिरफ्तार

24 हजार रूपये नगद

39 एटीएम कार्ड

01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 20.12.2024 को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहारा रेलवे ट्रैक के पास से 05 अभियुक्तों 1—जितेन्द्र बहादुर 2—राजेश प्रताप 3—अजय कुमार 4—मो0सैफ उर्फ शोएब 5—हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 24 हजार रूपये नगद, 39 एटीएम कार्ड, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त राजेश प्रताप के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सीतापुर व कमिश्नरेट प्रयागराज व लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग एवं अभियुक्त अजय व मो0सैफ के विरूद्ध चोरी, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया धोखाधड़ी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र बहादुर निवासी ग्राम जमालपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

2–राजेश प्रताप निवासी भदोही थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3–अजय कुमार निवासी समसपुर चरवा जनपद कौशाम्बी।

4–मो0सैफ उर्फ शोएब निवासी सागरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

5–हिमांशु निवासी रखहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–24 हजार रूपये नगद।

2–39 एटीएम कार्ड।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

- **जनपद हरदोई/थाना टडियावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना टडियावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–तेजपाल 2–अमित 3–आनन्द को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना रामगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रामगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मलखान 2–शेखू 3–बड़कऊवा उर्फ अशर्फी लाल को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना रेवती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना रेवती पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अर्पित उर्फ बड़क को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(1) भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लोकेश उर्फ कोमल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना कुड़ेभार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना कुड़ेभार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/308/324/323/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–काशीराम 2–बड़ेलाल 3–अच्छेलाल 4–अभियुक्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 17–17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना बिसण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–मु0अ0सं0 693/2024, थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ के अभियोग में वांछित व अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य अनिल बालियान उर्फ बंजी जनपद मेरठ से गिरफ्तार।

दिनांक 20–12–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद मेरठ, के थाना कंकरखेड़ा मे पंजीकृत मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट में वांछित एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 01 सदस्य को जनपद मेरठ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी पुत्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौली, थाना भौराकलां, जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी–

1. 01 अदद US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन
2. 01 अदद मैंगजीन US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन
3. 15 अदद जिन्दा कारतूस US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन
4. 01 अदद US RIFLE SPRING FIELD ARMORY .30 बोर
5. 01 अदद पम्प गन रिपीट 12 बोर
6. 1000/– रूपये नगद
7. 02 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

स्थान–दिल्ली–देहरादून बाईपास स्थित कैलाशी हास्पिटल के पास थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ। दिनाक–20–12–2024, समय–11.46, बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध अस्लाहों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक 23–11–2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई मेरठ द्वारा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ क्षेत्र से अन्तर्राज्यीय गैग के सदस्य रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहडडा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत को 05 एसबीबीएल गन 12 बोर व 12 डीबीबीएल गन 12 बोर तथा 700 अदद कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया था।

दिनांक 20–12–2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक सुनील कुमार, के नेतृत्व में उ0नि0 जयवीर सिंह, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह, हे0कां0 रोमिश तोमर एंव हे0कां0/चालक विनय कुमार की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मेरठ क्षेत्र में मामूर थी, इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक अन्तर्राज्यीय अवैध शस्त्र गिरोह का मुख्य सदस्य एवं थाना कंकरखेडा के मु0अ0सं0 693/2024 में वांछित अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी दिल्ली–देहरादून बाईपास पर कैलाशी हास्पिटल के पास मौजूद है तथा दिल्ली भागने की फिराक में है, यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उसके द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल दिये तो मुखबिर द्वारा दिल्ली देहरादून मेरठ बाईपास पर कैलाशी हास्पिटल से करीब 100 मीटर पहले गाडी रूकवाकर बताया कि कैलाशी हास्पिटल के पास काली जैकेट पहने जो व्यक्ति खडा है वही अनिल बालियान

उर्फ अनिल बंजी है, और मुखबिर चला गया। तत्पश्चात एसटीएफ टीम ने अपनी गाडी को सडक के साईड में लगाकर नीचे उतरकर मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी उपरोक्त बताया, जिसको गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी। बरामद हथियारों के बारे में अभियुक्त द्वारा बताया कि उसके पास इन हथियारों के लाईसेंस है, जिनकी जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

- उपरोक्त अभियुक्त वर्ष 1989 में एयरफोर्स मे भर्ती हुआ था और वर्ष 2009 में वीआरएस लेकर वापस आ गया था।
- नौकरी से वीआरएस लेने के बाद अवैध अस्लाहों की तस्करी का कार्य करने लगा एंव रोहित पुत्र शीशपाल निवासी मंगलोरा करनाल हरियाणा, कुर्बान व रिहान निवासी गण खुर्जा बुलन्दशहर तथा शारिक पुत्र गुडडू लिसाडी गेट निवासी मेरठ से अवैध शस्त्र खरीदता है।
- रोहित पुत्र शीशपाल निवासी मंगलोरा करनाल हरियाणा उपरोक्त का भाई राहुल आर्मी मे था जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये बार्डर पर पिस्टल मंगाता था एंव लारेन्स बिश्नाई, नीरज बबाना व अन्य गैंगों को सप्लाई करता था। राहुल वर्तमान में पंजाब जेल में बन्द है।
- कुर्बान निवासी खुर्जा उपरोक्त के लडके सावेज को एनआईए के द्वारा अवैध अस्लाह (Illegal Arms) सप्लाई करने के मामलें में गिर0 किया गया था, जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।
- गिर0 अभियुक्त अपने साथी रोहित, कुर्बान, रिहान एंव शारिक उपरोक्त से प्रति पिस्टल 3,50,000/– रूपये में खरीदता है और अपने साथी रोहन पुत्र राकेश नि0 लोहडडा थाना बडौत, बागपत व रवि नि0 गुराना, बागपत के साथ मिलकर 4,50,000/–रूपये में बेचता है।
- गिर0 अभियुक्त विकास नि0 भदोडा (जो सुशील फौजी गैंग के लिए काम करता हैं) तथा गुरूग्राम हरियाणा के सनी गैंग आदि को भी अवैध शस्त्रों की सप्लाई करता है।

- उपरोक्त के अतिरिक्त गिर0 अभियुक्त ने अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर आजाद पुत्र धर्मबीर नि0 दादूपुर दनकौर गौतमबुद्धनगर, अमर उर्फ अवध बिहारी नि0 दादूपुर दनकौर गौतमबुद्धनगर, कपिल प्रधान उर्फ ताउ नि0 गुराना, बन्टी सलारपुर थाना गंगानगर मेरठ, सुधीर प्रधान नि0 वाजिदपुर, मोन्टी उर्फ निखिल पुत्र सूरजभान उर्फ सूरज नि0 दीनपुर नजबगढ निकट गोला डेरी चौपला दिल्ली, राजीव निवासी लोहडडा, नितिन दीक्षित नि0 लोहडडा, अमरपाल पुत्र रघुवीर सिंह नि0 लालूखेडी थाना तितावी जनपद मु0नगर, अक्षय नि0 जोहडी भटटे वाला, सोनी राठी पुत्र बिजेन्द्र निवासी बिजवाडा हाल पता ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, अशोक मारवाडी नि0 डिफेन्स कालोनी कंकरखेडा एंव रिहान निवासी हापुड को भी अवैध शस्त्रों की सप्लाई की गयी है।
- गिर0 अभियुक्त पुराना अस्लाह तस्कर हैं, जिससे जनपद शामली पुलिस द्वारा पूर्व में ए0के0–47 राईफल भी बरामद की गयी थी।
- गिर0 अभियुक्त एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी मेरठ के एक डीन की हत्या के प्रयास की घटना में भी जेल जा चुका हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट में दाखिल किया गया जो पूर्व से पंजीकृत हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी का ज्ञात अपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	132/2022	7/27 आर्म्स एक्ट	थानाभवन	शामली
2	145/2022	7/27 आर्म्स एक्ट	थानाभवन	शामली
3	210/2022	2/3 गैगस्टर एक्ट	दौराला	मेरठ
4	89/2024	307 भादवि	दौराला	मेरठ
5	693/2024	109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट	कंकरखेडा	मेरठ

———————